

वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय :-वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर

वन परिसर पिंजौर, दूरभाष / फ़ैक्स नं० 01733-230537

e-mail-dfomorni@gmail.com

क्रमांक:- 6175
सेवा में:-

दिनांक:- 9-10-2020

Executive Engineer, T.S. Division,
HVPNL, Madanpur, Panchkula

विषय:- Diversion of 46.375 Ha. of forest land for erraction of 220KV lines in Panchkula and Pinjore from 440 KV PGCIL S/Stn Naggal (Barwala) under wildlife sentury Khol Hai Raitan Panchkula.
FP/HR/Trans/25376/2017

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०सी०ए० हरियाणा, पंचकूला के पत्र प्रशा-डी-तीन 9277/7639-41 दिनांक 05.10.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा 46.375 है० वन भूमि के उपयोग हेतु सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः उक्त पत्र के निर्देशानुसार शर्तों एवं नियमों का पालन करते हुये प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाकर बैंक की रसीद मण्डल कार्यालय में देवें ताकि उसी अनुसार उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जा सके। स्वीकृत स्कीम के अनुसार 219619980/- रुपये की राशि Executive Engineer, T.S. Division, HVPNL, Madanpur, Panchkula द्वारा जमा करवाई जानी है।

Compensatory Afforestation Charges	119713353
Additional Compensatory Afforestation	5438656.8
Supervisory/ Over head/ Miscellaneous Charges (10%)	11971335
Catchment Area Treatment (30%)	39505406
Tree Felling Charges	1856604
Net present Value of Forest land	41134625
Safety-Zone	0
Additional Charges	0

Rs. 219619980

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी वन मण्डल,
पिंजौर।

पृ०क० 6176-77

दिनांक: 9-10-2020

एक प्रति निम्न को:-

- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०सी०ए०, हरियाणा, पंचकूला को उनके पत्र क० प्रशा-डी-तीन 9277/7639-41 दिनांक 05.10.2020 के संदर्भ में मांगी गई एफ०आर०ए० सर्टिफिकेट की मुल प्रति आपको उपायुक्त, पंचकूला कार्यालय से प्राप्त होने उपरान्त भेज दी जायेगी।
- वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला को सुचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी वन मण्डल,
पिंजौर।